कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद

मिश्रित भवन भू–तल (ग्राउंड फ्लोर) धनबाद–826001, फोन–2313578, फैक्स–0326–2313578

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

उप विकास आयुक्त, धनबाद के ज्ञापांक–1816 दिनांक 11.09.2018 के द्वारा विधायक मद (सामान्य) योजना अन्तर्गत टुण्डी विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 8 (आठ) उच्च विद्यालयों में देश के महापुरूषों, कला, संस्कृति धरोहर व्यक्तित्व निर्माण एवं ज्ञान–विज्ञान से संबंधित पुस्तकों के क्रय हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए 8,00,000.00 रूपये की राशि विमुक्ति की गयी है, जो अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त है। माननीय विधायक द्वारा अनुशंसित बहुपयोगी पुस्तकों के क्रय/आपूर्ति हेतु प्रतिष्ठित पुस्तक प्रकाशकों/ आपूर्तिकर्ताओं/पुस्तक विक्रेताओं से दिनांक 26. 02.2019 को 03.00 बजे अपराहन तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता द्वारा संबंधित पुस्तकों की सूची किसी भी कार्य दिवस को (कार्यालय अवधि में) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकृत नहीं की जाएगी। निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त मुहरबंद निविदाएँ दिनांक 26.02.2019 को 04.00 बजे अपराहन गठित समिति के समक्ष अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जाएगी। जिसमें निविदादाता अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।

1. सभी निविदाएँ द्विलिफाफा प्रणाली (DOUBLE ENVELOPES SYSTEM) के अनुसार डाली जाएगी।
2. निविदादाता एक लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में "तकनीकी बीड" लिखकर उसमें माँगे गए सारे कागजात और प्रमाण पत्र (जमानत राशि का ड्राफ्ट) डालेंगे एवं उसे मुहरबंद करके तथा उसपर अपना नाम एवं पता साफ–साफ लिखेंगे।
3. दूसरे लिफाफे पर साफ–साफ शब्दों में "वित्तीय बीड" अंकित करेंगे उस लिफाफे में केवल पुस्तक का दर अंकित करेंगे और उसे लिफाफा में डालकर मुहरबंद करेंगे। उस लिफाफा में दर के अलावे कोई अन्य कागजात नहीं डाला जाएगा। उस लिफाफे पर भी अपना नांम एवं पता साफ–साफ अंकित करेंगे।
4. तकनिकी बीड एवं वित्तिय बीड दोनों मुहरबंद लिफाफे को तीसरे लिफाफे में डालकर उस लिफाफे को बंद करेंगे और उस पर साफ–साफ लिखेंगे पुस्तक हेतु निविदा। लिफाफे पर अपना नाम पता एवं दूरभाष संख्या अंकित करेंगे तथा अधोहस्ताक्षरी के नाम से मुहरबंद लिफाफा निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर भेजेगें/जमा करेंगे।
5. पहले तकनिकी बीड खोली जाएगी और निविदादाताओं की उपस्थिति में हीं उनका तकनीकी मुल्यांकन किया जाएगा। जिन निविदादाताओं को तकनिकी रूप से योग्य पाया जाएगा उन्हीं का वित्तीय बीड़ खोला जाएगा।

(क) तकनिकी निविदा की षर्तें

1. निविदा के साथ 50,000/– (पचास हजार) रूपये का बैंक ड्राफ्ट जमानत की राशि के रूप में जमा करना होगा, जो अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से A/C Payee होगा।
2. कम से कम तीन वर्शों का I.T.R. (Income Tax Return) एवं पैन नम्बर की छायाप्रति देना होगा।
3. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी द्वारा सत्यापित अद्यतन शपथ–पत्र देना होगा।
4. आपूर्तिकर्ता को संबंधित पुस्तकों के प्रकाशक के द्वारा पुस्तकों की आपूर्ति करने का प्राधिकार पत्र जमा करना होगा।
5. I.S.O. प्रमाण–पत्र प्राप्त निविदादाता को प्राथमिकता दी जाएगी।
6. निविदादाता का पिछले तीन वर्षों में औसतन टर्न ओभर पच्चास लाख या अधिक का होना अनिवार्य है ।

7. विधायक निधि से झारखण्ड राज्य अन्तर्गत पुस्तकों की आपूर्ति कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
8. अनुशंसित पुस्तकों की सूची में से कम से कम 50 पुस्तके नमूने के लिए जमा करने होंगे।

(ख) वित्तीय निविदा की षर्तें :–

1. वित्तीय निविदा के लिफाफे में निविदादाता आपूर्ति की जानेवाली पुस्तकों की दर एवं उस पर छूट की दर प्रतिशत में अंकित करेंगे।

(ग) सामान्य शर्तें:–

1. जिनकी निविदा स्वीकृत की जायेगी उन्हें आपूर्ति आदेश मिलने पर 30 दिनों के अंदर पूर्ण सेट सहित पुस्तक आपूर्ति संबंधित विद्यालयों/संस्थानों में पहुँचा कर करनी होगी। आपूर्तिकर्त्ता को अलग से परिवहन एवं मजदूरी की राशि देय नहीं होगी। साथ ही ट्राँस्पोर्टेशन में किसी भी प्रकार के नुकसान एवं क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी आपूर्तिकर्त्ता की होगी।
2. अग्रिम देने की बाध्यता नही होगी तथा आपूर्तिकर्त्ता को पुस्तकों की आपूर्ति के पश्चात् राशि का भुगतान किया जायेगा।
3. किसी भी समय बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
4. किसी भी तरह का विवाद होने पर न्यायिक क्षेत्र धनबाद होगा।
5. पुस्तकों की सूची की जानकारी के लिए राँची जिला के Website- dhanbad.nic.in पर देखा जा सकता है।

ह०

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
धनबाद।

ज्ञापांक– /धनबाद दिनांक–

प्रतिलिपि :–

4. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी धनबाद को सूचनार्थ एवं धनबाद जिला के अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
5. जिला जन संपर्क पदाधिकारी धनबाद को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इस विज्ञापन को सूचना एवं जन संपर्क विभाग के माध्यम से कम से कम तीन दैनिक समाचार पत्र के धनबाद संस्करण में दो दिनों के अंदर विभागीय रूप से प्रकाशित करवाने का कश्ट करें।
6. उप विकास आयुक्त धनबाद को सूचनार्थ समर्पित।
7. उपायुक्त धनबाद को सूचनार्थ समर्पित।

ह०

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
धनबाद।

ज्ञापांक :–251/ धनबाद दिनांक 31.01.2019

प्रतिलिपि :– वेब मैनेजर–सह–अपर समाहर्ता (विधि–व्यवस्था), धनबाद को सूचनार्थ समर्पित।

31.1.19

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
धनबाद।

31.1.19